

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- वक्ताराम

विपक्षी :- सोवनी

किस्म मुकदमा - 212 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 45 / 19

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 02.03.2020</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर मूल वाद के साथ तलब की गई। मूल वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से मूल वाद विद्रो किया गया। मूल वाद विद्रो होने से अब अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में भी कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाड़िया) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

